

बोर्ड स्तरीय समितियाँ (27.08.2020 से प्रभावी)			
क्र.	समिति	कार्यपालक निदेशक	गैर- कार्यपालक निदेशक (एनइडी)
1	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)	1. प्रबंध निदेशक - जीबी एंड एस 2. प्रबंध निदेशक - आर एंड डीबी [किसी भी बैठक में उपर्युक्त दोनों में से किसी भी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक - सीसीजी एवं प्रबंध निदेशक - आईटी एवं एसएआरजी जो स्थायी सदस्य है, उक्त बैठक के वैकल्पिक सदस्य(यों) की भूमिका निभाएंगे।] कोरम : 3 गैर-कार्यपालक निदेशकों (न्यूनतम 2 स्वतंत्र) संयोजक : महाप्रबंधक एवं सचिव केंद्रीय बोर्ड स्थायी सदस्य: प्रबंध निदेशक - सीसीजी, प्रबंध निदेशक-आईटी एवं एसएआरजी, उप प्रबंध निदेशक-आईबीजी, उप प्रबंध निदेशक (एफआईएन), उप प्रबंध निदेशक - एफआई एंड एमएम, उप प्रबंध निदेशक एंड सीआरओ, उप प्रबंध निदेशक -सीओओ, उप प्रबंध निदेशक - सीसीजी(1), उप प्रबंध निदेशक -सीएजी, उप प्रबंध निदेशक एंड सीआईओ, उप प्रबंध निदेशक -सीसीओ, उप प्रबंध निदेशक-एसएआरजी, उप प्रबंध निदेशक सीसीजी (2), उप प्रबंध निदेशक (एच आर) एंड सीडीओ, उप प्रबंध निदेशक - जीएम, उप प्रबंध निदेशक - आईए, उप प्रबंध निदेशक एंड जीसीओ, उप प्रबंध निदेशक - (एस) एंड सीडीटीओ	1. श्री केतन एस विक्रमसी (समिति के अध्यक्ष) 2. भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक 3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक 4. श्री बी वेणुगोपाल 5. श्री संजीव महेश्वरी 6. डॉ गणेश गणपति नटराजन 7. श्री मृगांक एम परांजपे
2	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)	1. प्रबंध निदेशक - जीबी एंड एस 2. प्रबंध निदेशक - सीसीजी [किसी भी बैठक में उपर्युक्त दोनों में से किसी भी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक -	1. श्री मृगांक एम परांजपे (समिति के अध्यक्ष) 2. डॉ पुष्पेंद्र राय

		आर एंड डीबी तथा प्रबंध निदेशक - आईटी एवं एसएआरजी, जो स्थायी सदस्य है, उक्त बैठक के वैकल्पिक सदस्य(यों) की भूमिका निभाएंगे।] कोरम: 3 गैर-कार्यपालक निदेशकों (न्यूनतम 2 स्वतंत्र) संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन) स्थायी सदस्य : प्रबंध निदेशक - आर एंड डीबी, प्रबंध निदेशक - आईटी एवं एसएआरजी उप प्रबंध निदेशक (एफआईएन), उप प्रबंध निदेशक एंड सीआरओ, उप प्रबंध निदेशक एंड सीसीओ, उप प्रबंध निदेशक - आईबीजी, उप प्रबंध निदेशक एंड सीआईओ, उप प्रबंध निदेशक -जीएम, उप प्रबंध निदेशक -एसएआरजी, उप प्रबंध निदेशक -आईए, उप प्रबंध निदेशक - सीओओ, उप प्रबंध निदेशक -एफआई एंड एमएम, उप प्रबंध निदेशक - एस एंड सीडीटीओ, उप प्रबंध निदेशक एंड जीसीओ तथा महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड	3. श्री बी वेणुगोपाल 4. श्री संजीव महेश्वरी 5. डॉ गणेश गणपति नटराजन 6 श्री केतन एस विक्रमसी
3	आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)	1. प्रबंध निदेशक - जीबी एंड एस 2. प्रबंध निदेशक -आईटी एंड एसएआरजी [किसी भी बैठक में उपर्युक्त दोनों में से किसी भी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक - आर एंड डीबी तथा प्रबंध निदेशक - सीसीजी, जो स्थायी सदस्य है, उक्त बैठक के वैकल्पिक सदस्य(यों) की भूमिका निभाएंगे।] कोरम: 3 गैर-कार्यपालक निदेशकों (न्यूनतम 2 स्वतंत्र) संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (ई एस एस) स्थायी सदस्य :	1. डॉ गणेश गणपति नटराजन (समिति के अध्यक्ष) 2. डॉ पुष्पेंद्र राय 3. डॉ. पूर्णिमा गुप्ता 4. श्री बी वेणुगोपाल 5. श्री संजीव महेश्वरी 6. श्री मृगांक एम परांजपे

		प्रबंध निदेशक - आरएंडडीबी, प्रबंध निदेशक -सीसीजी उप प्रबंध निदेशक एवं सीसीओ, उप प्रबंध निदेशक एवं सीआरओ, उप प्रबंध निदेशक (एफआईएन), उप प्रबंध निदेशक - एस एंड सीडीटीओ, उप प्रबंध निदेशक (एच आर) एवं सीडीओ, उप प्रबंध निदेशक एवं सीआईओ, उप प्रबंध निदेशक -आईए, उप प्रबंध निदेशक - सीओओ, उप प्रबंध निदेशक -आईबीजी, उप प्रबंध निदेशक - एफआई एंड एमएम, महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड	
4	बोर्ड की बड़ी राशि धोखाधड़ियों की निगरानी की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)	1. प्रबंध निदेशक - सीसीजी 2. प्रबंध निदेशक - आर एंड डीबी [किसी भी बैठक में उपर्युक्त दोनों में से किसी भी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक - जीबी एंड एस तथा प्रबंध निदेशक - आईटी एंड एसएआरजी, जो स्थायी सदस्य है, उक्त बैठक के वैकल्पिक सदस्य(यों) की भूमिका निभाएंगे।] कोरम: 3 (न्यूनतम 2 गैर-कार्यपालक निदेशक -एसीबी से एक और अन्य में से एक) संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (धोखाधड़ी निगरानी कक्ष) स्थायी सदस्य : प्रबंध निदेशक - जीबी एंड एस, प्रबंध निदेशक -आईटी एंड एसएआरजी उप प्रबंध निदेशक एंड सीसीओ, उप प्रबंध निदेशक एंड सीएफओ, उप प्रबंध निदेशक -एसएआरजी, उप प्रबंध निदेशक- सीसीजी (1), प्रबंध निदेशक-सीसीजी (2), उप प्रबंध निदेशक (एच आर) एवं सीडीओ, उप प्रबंध निदेशक एवं सीआईओ, उप प्रबंध निदेशक -आईए, उप प्रबंध निदेशक -सीओओ, उप प्रबंध निदेशक - आईबीजी, उप प्रबंध निदेशक एंड सीआरओ, उप प्रबंध निदेशक एंड जीसीओ, महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड	एसीबी सदस्य: 1. श्री केतन एस विक्रमसी (समिति के अध्यक्ष) 2. डॉ गणेश गणपति नटराजन 3. श्री संजीव महेश्वरी अन्य सदस्य: 4. डॉ पुष्पेंद्र राय 5. डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

5	पणधारक संबंध समिति (एसआरसी) एवं ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)	1. प्रबंध निदेशक - जीबी एंड एस 2. प्रबंध निदेशक - आर एंड डीबी [किसी भी बैठक में उपर्युक्त दोनों में से किसी भी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक - सीसीजी एवं प्रबंध निदेशक-आईटी एवं एसएआरजी, जो स्थायी सदस्य है, उक्त बैठक के वैकल्पिक सदस्य(यों) की भूमिका निभाएंगे।] कोरम: 3 (न्यूनतम 2 गैर-कार्यपालक निदेशक) संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (एफसी) / मुख्य महाप्रबंधक (सीएस एंड बीसीएनएम) / स्थायी सदस्य : प्रबंध निदेशक - सीसीजी, प्रबंध निदेशक - आईटी एवं एसएआरजी उप प्रबंध निदेशक (एफआईएन), उप प्रबंध निदेशक - एस एंड सीडीटीओ, उप प्रबंध निदेशक एवं सीओओ, उप प्रबंध निदेशक (एच आर) एवं सीडीओ, उप प्रबंध निदेशक एवं सीआईओ, उप प्रबंध निदेशक एवं जीसीओ, उप प्रबंध निदेशक - एफआई एंड एमएम, आंतरिक लोकपाल, महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड	1. डॉ पुष्पेंद्र राय (समिति के अध्यक्ष) 2. डॉ. पूर्णिमा गुप्ता 3. श्री बी वेणुगोपाल 4. श्री संजीव महेश्वरी 5. श्री मृगांक एम परांजपे 6. डॉ गणेश गणपति नटराजन 7. श्री केतन एस विक्रमसी
6	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	कार्यपालक निदेशक इस समिति के सहभागी नहीं हैं। कोरम: (कम से कम 3 गैर-कार्यपालक निदेशक, जिसमें से एक-आधा स्वतंत्र निदेशक तथा कम से कम एक सदस्य आरएमसीबी के होना चाहिए) संयोजक: महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड स्थायी सदस्य : उप प्रबंध निदेशक (मा.सं.) एवं सीडीओ, उप प्रबंध निदेशक (एफआईएन) ;	1. श्री बी वेणुगोपाल (अध्यक्ष) 2. डॉ पुष्पेंद्र राय 3. श्री मृगांक एम परांजपे 4. डॉ गणेश गणपति नटराजन 5. श्री केतन एस विक्रमसी
7	बोर्ड की ऋण वसूली निगरानी समिति (बीसीएमआर)	• अध्यक्ष • प्रबंध निदेशक - जीबी एंड एस • प्रबंध निदेशक - सीसीजी • प्रबंध निदेशक - आर एंड डीबी	1. भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

		• प्रबंध निदेशक - आईटी एंड एसएआरजी कोरम: 3 (कम से कम 2 एनईडी) संयोजक: मुख्य महाप्रबंधक (एसएआरजी) स्थायी सदस्य: उप प्रबंध निदेशक - एसएआरजी, उप प्रबंध निदेशक-सीसीजी (1), उप प्रबंध निदेशक -सीसीजी (2), उप प्रबंध निदेशक - सीएजी, उप प्रबंध निदेशक - सीओओ, उप प्रबंध निदेशक - एफआई एंड एमएम, उप प्रबंध निदेशक - एस एंड सीडीटीओ, महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड	2. डॉ पुष्पेंद्र राय 3. डॉ. पूर्णिमा गुप्ता 4. श्री संजीव महेश्वरी 5. डॉ गणेश गणपति नटराजन 6. श्री केतन एस विक्रमसी
8	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)	1. प्रबंध निदेशक - जीबी एंड एस 2. प्रबंध निदेशक - आर एंड डीबी वरिष्ठ प्रबंध निदेशक कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे [किसी भी बैठक में उपर्युक्त दोनों में से किसी भी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक - सीसीजी तथा प्रबंध निदेशक - आईटी एंड एसएआरजी, जो स्थायी सदस्य है, उक्त बैठक के वैकल्पिक सदस्य(यों) की भूमिका निभाएंगे।] कोरम: 3 (कम से कम 2 एनईडी) संयोजक: उप महाप्रबंधक (सीएसआर) स्थायी सदस्य: प्रबंध निदेशक - सीसीजी, प्रबंध निदेशक - आईटी एंड एसएआरजी उप प्रबंध निदेशक (एफआईएन), उप प्रबंध निदेशक - एस एंड सीडीटीओ, उप प्रबंध निदेशक (एच आर) एवं सीडीओ, उप प्रबंध निदेशक एवं सीओओ, उप प्रबंध निदेशक - एफआई एंड एमएम, महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड	1. डॉ पुष्पेंद्र राय 2. डॉ. पूर्णिमा गुप्ता 3. श्री बी वेणुगोपाल 4. श्री मृगांक एम परांजपे 5. डॉ गणेश गणपति नटराजन 6. श्री केतन एस विक्रमसी
9	इरादतन चूककर्ताओं/ असहयोगी ऋणियों के	प्रबंध निदेशक - आईटी एंड एसएआरजी समिति के अध्यक्ष कोरम: 3 (कम से कम 2 एनईडी)	1. डॉ पुष्पेंद्र राय 2. डॉ. पूर्णिमा गुप्ता

	निर्धारण की समीक्षा की समिति	संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (एसएआरजी) (प्रबंध निदेशक - आईटी एंड एसएआरजी की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक - सीसीजी बैठक की वैकल्पिक अध्यक्षता करेंगे)	3. श्री बी वेणुगोपाल 4. श्री संजीव महेश्वरी 5. श्री केतन एस विक्रमसे 6. श्री मृगांक एम परांजपे
--	------------------------------	--	--

टिप्पणी:

- वर्तमान में निम्नलिखित पदाधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं:
 - अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार
 - प्रबंध निदेशक (ग्लोबल बैंकिंग एवं अनुपंगियां) श्री डी के खारा
 - प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक ग्राहक समूह) श्री अरिजित बसु
 - प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग) श्री सी एस शेटी
 - प्रबंध निदेशक (आईटी एंड एसएआरजी) श्री अश्वनी भाटिया
- श्री देवाशिष पांडा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक है तथा श्री चंदन सिंहा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक है।
- समितियों की कार्यकाल/अवधि सतत रहेगी तथा उनके आगामी पुनर्गठन तक वैध रहेगी।

===XX===